संख्या-18/2023/814/58-2023/1673336-2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2023**

विषयः- रिट याचिका सं0-33183(एम0बी0)/2018 मै0 सहयोगी इण्टरप्राइजेज बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के साथ सम्बद्ध रिट याचिका सं0-12634(एम0बी0)/2019 मै0 डी0के0 कान्सट्रक्शन बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-161/बजट/2022-23, दिनांक 21.03.2023 के सन्दर्भ में शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-बजट-1-699/ई-1/दस-2023, दिनांक-30.03.2023 एवं पृष्ठांकन संख्या-686/58-2023-1673336, दिनांक-31.03.2023 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन शासन के पत्र दिनांक-11.11.2022 द्वारा प्रदान की गयी प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में अनुदान सं0-10 लेखाशीर्षक-2406-02-112-03-उद्यान के अंतर्गत मानक मद 42-अन्य व्यय में रू0 8.69 लाख एवं मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0 41.86 लाख कुल धनराशि रू0 50.55 लाख (रू0 पचास लाख पचपन हजार मात्र) का पुनर्विनियोग स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. पुनर्विनियोग हेतु प्रस्तावित बचत की मदों में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक का होगा।
5. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए

.up.gov.in

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कारण/मुख्य वित्त नियंत्रक /आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

7. अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

8. उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

9. व्यय की गयी धनराशि का औचित्य/विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

10. उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

11. उक्त धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के प्राविधानों के अनुसार नियंत्रक अधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा।

12. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक/वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

13. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

14. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

15. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

16. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 8,69,000 (रुपये आठ लाख उनहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखाशीर्षक** 2406021120300 उद्यान - **मानक मद** 42 अन्य व्यय (*2*) रुपये 41,86,000 (रुपये इकतालीस लाख छियासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखा शीर्षक** 2406021120300 उद्यान- **मानक मद** 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-18/2023/814 (1)/58-2023/1673336-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0

लखनऊ।

3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ-द्वारा निदेशक।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।

6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in